(29)

आयोजनेत्तर

संख्या– / III (2)/12–04(बजट)/2012

प्रेषक,

महिमा ,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 11 सितम्बर ,2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के आय–व्ययक में प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु आयोजनेत्तर मद में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–321/xxvII (1)/2012 दिनांक 19 जून,2012 एवं शासनादेश सं0–11702/III(2)/12–04 (बजट) /2012 दिनांक 11 मई,2012 के अनुक्रम में आपके पत्र सं0–379/58 (बजट) मार्ग /सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2012–13 दिनांक 26.6.2012 एवं पत्र सं0–419/58 (बजट) मार्ग /सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2012–13 दिनांक 05.07.2012 एवं पत्र सं0–556/56(बजट)(मार्ग/सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2012–13 दिनांक 08.08.2012 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत **'प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण'** (आयोजनेत्तर) योजना में प्राविधानित **₹ 880000हजार** की बजट व्यवस्था के सापेक्ष संगत योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 293333 हजार (₹ उन्नतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए योजनान्तर्गत अवशेष **₹ 586667हजार (₹ अटठावन करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(I) विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा की प्राथमिकता के आधार पर अवरूद्व मार्गों को यातायात हेतु खोलने के लिए,मार्गो का अनुरक्षण/रखरखाव कार्य यथा–पैच मरम्मत,सामान्य मरम्मत,सामान्य अनुरक्षण,नालियों की सफाई,स्कपर, रिटेंनिगवाल आदि का निर्माण/मरम्मत, झाड़ियों की सफाई, मलवा सफाई आदि अनुरक्षण कार्यों हेतु फील्ड अधिकारियों की मांग के अनुसार आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है और शासन के संज्ञान में धनराशि के अभाव में मार्ग अवरूद्व होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबधित अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

(II) वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये गये अथवा सम्पादित कराये गये नवीनीकरण कार्यों की सूची तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी जिनकी रैन्डम चैकिग नियोजन विभाग के माध्यम से कराई जायेगी।

(III) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के मानको एवं तद्विषयक शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(IV) स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल्स,2008 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/व्यवस्थाओं, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य सुसंगत स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(V) व्यय उन्ही मदों /योजनाओ पर किया जाय जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओ पर व्यार्वतन नही किया जायेगा, तथा स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार किस्तो में कोषागार से आहरित किया जायेगा, कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता का दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

क्रमशः 2/–

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(VII) साख सीमा के आधार पर आबंटित धनराशि का एकमुश्त आबंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जायें एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(VIII) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने एवं तद्क्रम में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप व्यय को नियत्रित करने की बाध्यता के उद्देश्य से व्यय हेतु धनराशियां अवमुक्त करने एवं वास्तविक व्यय की सघन व नियमित दृष्टि रखना आवश्यक है। अतः राज्य में बजट आबंटन एवं नियंत्रण के लिये एन0आई0सी0 के सहयोग से निदेशालय एवं कोषागार एवं वित्त सेवाऐं के डेटा सेन्टर द्वारा विकसित साप्टेवयर के माध्यम से बजट आबंटन दिनांक 01 अप्रैल,2012 से किया जाना है। अतएवं इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आबंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग–1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2012 के अनुक्रम में वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त साप्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार आयोजनेत्तर पक्ष के सुसंगत उक्त उप मानक मद में अलोटमैन्ट आई.डी.संख्या–S1209220016 दिनांक 11 सितम्बर 2012 के द्वारा कुल ₹ 586667000.00 मात्र का बजट आबंटन विभागीय अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत आपको आबंटित कोड सं0–Chief Engineer PWD (4227)में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

2– इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 3054 सडक तथा सेतु–04–जिला और अन्य सडके–आयोजनेत्तर–337 सडक निर्माण कार्य–03 अनुरक्षण एवं मरम्मत–01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–509/XXVII (2)/2012 दिनांक 11 सितम्बर,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्या–4308(1)/III(2)/12–04(बजट)/2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमांयू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
5– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
6– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।